

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002412011

दांडिक प्रकरण क.-465 / 11

संस्थापित दिनांक-30.09.11

सुनीता पत्नी भूरा पुत्री परमानन्द अहिरवार आयु 30 वर्ष निवासी हाटकापुरा, चन्देरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	परिवादी
विरुद्ध	
01-भूरा पुत्र रामदास अहिरवार आयु 35 वर्ष 2-रामदास पुत्र शोभा अहिरवार आयु 52 वर्ष 3-संग्राम सिंह पुत्र रामदास अहिरवार आयु 38 वर्ष 4-नुनियाबाई पत्नी संग्रामसिंह अहिरवार आयु 32 वर्ष निवासीगण ग्राम नोर गोरा थाना जखौरा तहसील ललितपुर (उ0प्र0) 5-दशरथसिंह पुत्र मनका अहिरवार आयु 50 वर्ष 6-शीलाबाई पत्नी दशरथसिंह अहिरवार आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम किसलवास थाना जखौरा तहसील ललितपुर (उ0प्र0)	आरोपीगण
परिवादी द्वारा	:- श्री शैलेन्द्र सुमन अधिवक्ता।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री के.एन. भार्गव अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 22.11.2017 को घोषित)

01— परिवादी सुनीता द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह परिवाद पत्र अंतर्गत भा.द. वि. की धारा 323,324,294,506बी के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी सुनीता ने परिवादपत्र आरोपीगण के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 22.07.11 को आरोपीगण तथा दो अन्य लोग राजीनामे लिए उसके घर पर आए थे तथा उसके वेटे को जबरजस्ती उठाकर ले गये एवं वायपास पर बुरी बुरी गालिया देने लगे एवं लात घूसों से मारपीट करने लगे जिससे फरियादी को चोटें आईं। परिवादी के अनुसार वह अपने वेटे को लेने गई तो बड़ी मुश्किल से वापिस ले पाई तथा लौटते समय आरोपीगण जान से मारने की धमकी दे रहे थे। परिवादी के परिवादपत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा विधिवत आरोपीगण के विरुद्ध भादवि की धारा 341,324 एवं 506 भाग दो के अंतर्गत प्रकरण पंजीवद्ध किया गया एवं विचारण किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 341,324/34,506बी के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 28.07.11 को सुबह के समय थाना चंदेरी वाईपास पर फरियादिया का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थिया

सुनीताबाई को सह अभियुक्त के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आहत सुनीता अश्वन व भेदन उपकरण जैसे चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया सुनीता को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। परिवादी ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 सुनीता, अ.सा.2 संगीता, अ.सा.3 आरती, की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 सुनीता ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार वह आरोपी भूरा के साथ एक वर्ष तक रही जिससे उसका एक बच्चा हुआ। उक्त साक्षी के अनुसार बच्चा होने के बाद रामदास उसे लेने आया था तो वह गई तो वहां से मारकर आरोपीगण ने उसे भगा दिया था। अ.सा.1 के अनुसार उसके साथ मारपीट लगभग दो वर्ष पहले वायपास पर की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार चारों आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी देते हैं। अ.सा.2 संगीता ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने लात घूसों से मारपीट की थी तथा गालियां भी दी थी। अ.सा.3 हीराबाई ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण सुनीता के बच्चे को ले गये थे तथा घटना स्थल पर आरोपीगण ने सुनीता के साथ मारपीट की थी तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी।

08— अ.सा.1 ने अपने कथन में स्पष्टरूप से बताया है कि जब वह बच्चे को लेने गई तो तब आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी। अ.सा.1 के अनुसार रामदास ने लात एवं हाथों से मारपीट की थी। अपने प्रतिपरीक्षण में अ.सा.1 ने कथन किया है कि आरोपी दशरथ ने उसके साथ मारपीट नहीं की। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी दशरथ उसे बैठाकर ले गया था। अ.सा.2 ने स्पष्टरूप से अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने मारपीट की थी। अ.सा.3 ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने सुनीता के साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने बीचबचाव किया था। अ.सा.3 के अनुसार सुनीता ने उसे घटना के बारे में बताया था। उल्लेखनीय है कि आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है।

09— परिवादी की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा.1 ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा गाली गलोच की गई थी। अ.सा.1 मामले की परिवादी है तथा उसने अपने परिवाद पत्र में यह अभिवचन किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने गाली गलोच की थी किंतु उक्त साक्षी ने अपने कथनों में यह कहीं नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा परिवादी के साथ गाली गलोच की गई थी। इस प्रकार परिवादी की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा परिवादी के साथ गाली गलोच की गई थी। उल्लेखनीय है कि अ.सा.1 जो कि मामले की परिवादी भी है उसने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्टरूप से कथन किया है कि आरोपी दशरथ द्वारा उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई जो कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में किये गये अभिवचन के विल्कुल विपरीत है। इस प्रकार आरोपी दशरथ के विरुद्ध यह भी प्रमाणित नहीं होता कि उसके द्वारा उक्त घटना दिनांक को परिवादी के साथ मारपीट कर उपहति कारित की गई थी। परिवादी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी दशरथ ने परिवादी को जान से मारने की धमकी दी थी।

10— परिवादी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि परिवादी तथा अन्य सभी साक्षीगण ने स्पष्टरूप से अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने परिवादी के साथ मारपीट की थी तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी। परिवादी ने अपने कथनों में बताया है कि आरोपी भूरा द्वारा चाकू से उसके साथ मारपीट की गई थी तथा उक्त तथ्य के बारे में अन्य साक्षीगण ने अपने कथन में बताया है। इस प्रकार परिवादी के कथनों का अनुसर्मथन अन्य सभी साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य से किया है तथा परिवादी साक्ष्य से ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि प्रकरण में परिवादी द्वारा असत्य कथन किये गये हैं। परिवादी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी दशरथ को छोड़कर अन्य सभी आरोपीगण ने परिवादी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया था और उसके बाद उसके साथ मारपीट की थी तथा उस समय एवं बाद में भी परिवादी को जान से मारने की धमकी दी थी। उल्लेखनीय है कि आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में आरोपी दशरथ को भादवि की धारा 341,324/34 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। शेष सभी आरोपीगण को भादवि की धारा 341,324/34 एवं 506 भाग दो के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

11— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्च:—

12— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री के एन भार्गव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध आरोपीगण द्वारा कारित किया गया है तथा एक महिला के विरुद्ध कारित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

13— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा किसी महिला के विरुद्ध कोई अपराध कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 341, के अपराध में 300—300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 03 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 324/34 के अपराध में 06—06 माह के साधारण कारावास एवं 500—500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 506 भाग दो के अपराध 500—500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 03 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि

फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

14— आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

16— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

17— आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)